

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 15/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00018

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा हाल उदयपुर


अभियुक्त :-  
श्री यशवीर सिंह राजपुत पुत्र श्री श्यामकरण  
सिंह राजपुत मालिक विक्रेता मैसर्स यशवीर  
सिंह मावा वाला गढी रोड मु.पो. नौगामा  
तहसील बागीदौरा बांसवाड़ा, निवासी -  
गाँव/पोस्ट हर्षपुर, थाना मानघाता, तहसील  
सदर, जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल उदयपुर (राज.) के द्वारा दिनांक 31-03-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 12-12-2020 को 12.30 पी.एम. बजे बाहेसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स यशवीर सिंह मावा वाला गढी रोड मु.पो. नौगामा तहसील बागीदौरा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री यशवीर सिंह राजपुत पुत्र श्री श्यामकरण सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता के यहाँ एक फिजर में स्टील की कोठी में करीब 15 लीटर भैंस का दुध आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टैंडर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए एक केन में आम जनता को बिक्री हेतु रखे करिब 15 लीटर भैंस के दुध मे से 2 लीटर भैंस का दुध वास्ते नमुना जाँच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगौनी में खरीदा तथा इनकी कीमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा 2 लीटर भैंस के दुध को चार साफ, सुखे व खाली प्लास्टिक की खाली बोतलो में बराबर-बराबर (प्रत्येक मे करिब 500 ग्राम) भरकर फार्मैलीन की 40



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

डालकर बोटल का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमूना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/25-26 दिनांक 01.01.2021 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 371 दिनांक 22.12.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया भैस का दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने एवं अभियुक्त को सबस्टैण्डर्ड मावा का विक्रय करने पर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा 8000/- रुपये जुर्माने से दण्डित किये जाने के उपरांत पुनः सबस्टैण्डर्ड भैस के दुध का विक्रय कर विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 64 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 01-04-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28.07.2021 को अभियुक्त श्री यशवीर सिंह राजपुत पुत्र श्री श्यामकरण सिंह राजपुत मालिक विक्रेता मैसर्स यशवीर सिंह मावा वाला गढी रोड मु.पो. नौगामा तहसील बागीदौरा बॉसवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/25-26 दिनांक 01.01.2021 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 371 दिनांक 22.12.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया भैस का दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में

न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिशा कलक्टर)  
बॉसवाडा (राज.)

अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया भैस का दुध विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है एवं पूर्व में इस न्यायालय द्वारा 8000/- रुपये जुर्माने से दण्डित किये जाने के उपरांत पुनः सबस्टैण्डर्ड भैस के दुध का विक्रय कर विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 64 का उल्लंघन किया है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री यशवीर सिंह राजपुत पुत्र श्री श्यामकरण सिंह राजपुत मालिक विक्रेता मैसर्स यशवीर सिंह मावा वाला गढी रोड मु.पो. नौगामा तहसील बागीदौरा बाँसवाड़ा को रुपये 10000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।



निष्ठा (बनकर)  
(बनकर)  
न्याय निर्णय अधिकारी  
(अति. जिला क्लर्क)  
(अति. जिला क्लर्क)  
बाँसवाड़ा (रा.प.)  
बाँसवाड़ा